International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 4, July-August, 2025

विद्यालय स्तर के किशोर छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. आरती गुप्ता[1], आशा सैनी[2]

[1]प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज
[2]बी.एड. एम. एड. छात्रा बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज

सारांश

शायद किशोरावस्था जीवन का सबसे अधिक संघर्ष और भ्रम का काल है, जिसमें हमें बचपन से युवावस्था की ओर खींचा जाता है और शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में कुछ लोग आसानी से प्रवेश कर लेते हैं जबकि कुछ कुशलता से प्रवेश न कर गलत दिशा में मुड जाते है। हमारे समाज में किशोरावस्था को निम्न तीन लक्षणों से पहचाना जाता है : धनोपार्जन का उत्तरदायित्व ग्रहण करना, विवाह संस्कार के लिए प्रस्तुत होना एवं सामाजिक पर्वो में सहभागिता देना।किशोरों की 'संघर्ष और तूफान' की अवधारणा मुख्यतः उसके सांस्कृतिक व सामाजिक प्रतिमानों पर निर्भर करती है। किशोरों की लैंगिक मूल प्रवृत्ति भी उनके पर्यावरण एवं सांस्कृतिक सामाजिक प्रतिमानों पर ही निर्भर करती हैं। इसी प्रकार किशोरों की भावाभिव्यक्ति भी उनके समाज द्वारा ही नियंत्रित व परिवर्तित होती है। किशोरावस्था में किशोरों की क्षमता, मूल्य जिम्मेदारी, उनके क्रियाकलाप और काम वासना की अभिव्यक्ति सभी कुछ उनके सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिमानों से निर्देशित होती है।

की वर्ड :–विद्यालय स्तर, किशोर एवं व्यवहारिक दोष

प्रस्तावना

किशोरावस्था बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का परिवर्तनकाल है, जो तनावपूर्ण होता है, परन्तु युवावस्था में आते ही प्रायः यह तनाव समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर व उसके साथियों द्वारा जो समस्याएँ उत्पन्न की जाती हैं उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता परन्तु ये समस्याएँ समय के साथ धीरे–धीरे सामान्य होकर युवावस्था में विलुप्त हो जाती है।

किशोरावस्था, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का योजक ही नहीं है बल्कि यह एक अर्थपूर्ण समय है जिसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन ही होते है बल्कि जीवन का हर ढंग परिवर्तित होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास भी होता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को भी साथ लेकर चलता है। इस उम्र में संवेगात्मक विकास भी होता है।

भारत के पिछड़े हुए राज्य राजस्थान पर विचार करने पर हम देखते हैं कि यहाँ किशोरों के व्यक्तित्व विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से काफी गरीब है, जो दिनभर मेहनत करके मुश्किल से दो वक्ता का भोजन जुटा पाते है। पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में तथा कुछ जातियों द्वारा अपराध को पेशा बनाने के कारण किशोरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राजस्थान का गर्म जलवायु भी बच्चों को शीघ्र ही किशोर व युवावस्था की ओर शारीरिक रूप से बढ़ने में सहायक होता है जबकि मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं हो पाते है और फलतः व्यवहारिक दोष उत्पन्न होने लगते है क्योंकि बालक का 80 प्रतिशत व्यवहार पर्यावरण द्वारा ही प्रेरित होता है।राजस्थान की कुछ आदिवासी जातियों में अपराध को महत्त्व दिया जाता है और अपराधी बालक को अपराध जगत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कंजर व सांसी जातियों में निकट के सम्बन्धियों के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करना घृणित नहीं माना जाता

बल्कि वे इसे महत्व देते है व श्रेयस्कर समझते है। कुछ जातियों में हिंसक बनना अच्छा माना जाता है। फलतः इन जाति के बच्चों में ढ़ेर सारे व्यावहारिक दोष उत्पन्न होते हैं।

बड़े शहरों में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक है, वहां लोगों का उठना, बैठना वार्तालाप करना अभिवादन करना सभी कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। वहां व्यवहारिक दोषों को सामान्य ही समझा जाता है और इससे किशोरों में व्यवहारिक दोष बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि व्यवहारिक दोष पर्यावरण व समाज द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यवहारिक दोष कम कर सामान्य नागरिक के स्तर तक लाने हेतु ही भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को आरक्षण उपलब्ध कराया है ताकि इन जाति के किशोर भी सामान्य जाति के छात्रों के साथ रहकर व पढ़कर उनसे अच्छे संस्कार व व्यवहार सीखे। असामान्य व्यवहार को छोड़कर सामान्य नागरिक की कड़ी में जुड़कर भारत निर्माण में सहायक हो सकें।

अध्ययन का औचित्य :–
व्यवहारिक दोष आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः माता–पिता का दायित्व है कि वे अपनी क्षमतानुसार किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करें। जो परिवार गरीब हैं, वे भी अपनी क्षमतानुसार किशोरों की आश्यकताओं को पूरा करें और प्यार से उन्हें समझाएँ कि आर्थिक तंगी के कारण वे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते है। किशोर निश्चित रूप से माता–पिता की परिस्थितियों को समझेंगे और उपलब्ध साधनों से ही संतुष्ट हो जाएंगे। अतः कह सकते हैं कि आवश्यकता संतुष्टि ही व्यवहार सुधार का श्रेष्ठ साधन है।स्माज के सदस्यों को चाहिए कि वे किशोरों की इस इच्छा शक्ति का उपयोग समाज सुधार में करें क्योंकि संसार में हर एक चीज समय के अनुसार परिवर्तन चाहती है। अतः किशोरों की इच्छा शक्ति का उपयोग समाज की कुरीतियों के निवारण में करना चाहिए ताकि समाज की परम्पराएँ तार्किक और ताजा बन सकें।

समस्या कथन –
"राजकीय एवं निजी विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन"

शोधकार्य के उद्देश्य –

(1) राजकीय विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों का अध्ययन करना।
(2) राजकीय विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के सामाजिक व्यवहारिक दोषों का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

(1) राजकीय व निजी विद्याय के किशोर छात्र व छात्राओं के व्यवहारिक दोषों के सार्थक अंतर नहीं होता है।
(2) सीकर जिले के राजकीय विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों में सार्थक अन्तर नहीं होता।

सम्बन्धित साहित्य

(1) भाटिया के. टी. (2025)– भाटिया ने संवेगात्मक व्यक्तियों और उनकी सामाजिक समायोजन की समस्याओं का अध्ययन किया। उद्देश्य किशोरों के जीवन की समस्याओं का अध्ययन करना। किशोरों के दैनिक जीवन की घर एवं कॉलेज में व्यक्तिगत एवं संवेगात्मक समायोजन की समस्याओं की प्रकृति का अध्ययन। निष्कर्ष किशोरों के साथ कभी बालक जैसा तो कभी युवक जैसा व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक मात्रा में बालक समझा जाता है और उन्हें विचार एवं व्यवहार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। भारतीय परिवेश में लड़कियों के लिए पारिवारिक वातावरण

अधिक तनावग्रस्त एवं दुःखपूर्ण था। पौशाक, अभिवृत्ति एवं विचारों की दृष्टि से किशोर अपने साथी समूह से अधिक प्रभावित होते है।

(2) **मांकड, आर.डी. (2024)**–मांकड ने किशोरों की समस्याओं का अध्ययन किया। उद्देश्य राजकोट शहर के कक्षा 10 व 11 के तथा महाविद्यालय के किशोर छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करना। परिणाम संवेगात्मक एवं धार्मिक, नैतिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में किशोर छात्रों की समस्याएं किशोर छात्राओं से अधिक हैं।

(3) **शर्मा, जे.एन. (2023)**–शर्मा ने किशोरों की अभिरूचियों का अध्ययन किया। उद्देश्य किशोरों की अभिरूचियों पर उनके व्यक्तित्व, लिंग और चिंता के प्रभाव का अध्ययन । व्यक्तित्व की प्रक्रियात्मक प्रकृति का अध्ययन जब उसकी अभिरूचियों पर व्यक्तित्व, लिंग और चिंता का प्रभाव पड़ रहा हो। किशोरों के व्यक्तित्व विकास, लैंगिक व चिंता विकास के साथ अभिरूचियों के विकास का अध्ययन करना। परिणाम व्यक्तित्व कारक किशोरों की अभिरूचियों को प्रभावित करते हैं। उच्च चिन्तामुक्त किशोर छात्रों में धूर्तता, दुस्साहस आदि लक्षण देखे गये जबकि अल्प चिन्तायुक्त किशोरों में सामाजिक परिपक्वता प्रभावी व्यक्तित्व आदि लक्षण पाये गये।

(4) **सिंह के. के. (2022)** सिंह ने व्यक्तित्य कारकों का अध्ययन किया। उद्देश्यछात्र एवं छात्राओं में सामान्य रूप से एवं वर्गवार बुद्धिमता में अन्तर स्थापित करना। बुद्धि एवं व्यक्तित्व के संगठन एवं शक्ति को जानना। उच्च एवं अल्प बुद्धि के छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व कारकों में अन्तर स्थापित करना। परिणाम उच्च बुद्धि वाले छात्र एवं छात्राएं अधिक नियंत्रित एवं विद्यालयी थे जबकि कम बुद्धि वाले छात्र छात्राएं पलायन करने वाले एवं भाग्यवादी प्रकृति के थे। उच्च बुद्धि वाले छात्र अधिक विद्यालयी ठहराव वाले, भावात्मक रूप से परिपक्व, साहसी, नियंत्रित एवं संदेही प्रकृति के थे जबकि अल्प बुद्धि के छात्र पलायन प्रकृति, भावात्मक रूप से अपरिपक्व, उदास, धूर्त, कल्पनाशील प्रकृति के थे। उच्च बुद्धि की छात्राएं विद्यालयी ठहराव वाली, नियंत्रित, और धूर्त प्रकृति की थी जबकि अल्प बुद्धि की छात्राएं पलायन प्रकृति य न्यून विद्यालयी ठहराव वाली प्रकृति की थी।

(5) **सिंघल, सी.ए. (2021)**–सिंहल ने विचलित बच्चों की मनोगत्यात्मक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया।उद्देश्यविद्यालयों में अध्ययनरत विचलित छात्रों का मनोगत्यात्मक अध्ययन करना।यादृच्छिक विश्लेषण से जांचे गये विचलित किशोरों को आनुवांशिक आधार स्थापित करना।विचलित किशोरों के व्यक्तिगत सम्बन्धों एवं मनोगत्यात्मक प्रारूपों को प्रकट करना।निष्कर्ष अविचलित किशोरों में दोषारोपण से बचना, अधिगम एवं समझ, रचनात्मक सोच के सदगुण पाये गये।अविचलित किशोरों में मित्रता का भाव पाया गया।अविचलित किशोरों के सम्पर्क के व्यक्तियों में मित्रता, समर्पण एवं सहयोग के गुण पाये गये।अविचलित किशोर, विचलित किशोरों की भावात्मक गहनता, व्यापकता, सामाजिक निडरता, कठोर बुद्धि, विश्वास करने की प्रकृति, स्वरूमानी व्यवहार को नापसन्द करते थे।विचलित किशोरों के चरित्र में भावुकता का अभाव, धमकी देना, संदेही होना, अपराधी कल्पना करना, तनाव होना आदि दुर्गुण विद्यमान थे।

साहित्य विवेचना :–

प्रस्तुत शोध में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इससे सम्बन्धित अध्ययन निम्न है –भाटिया के. टी. (2025), मांकड, आर.डी. (2024), शर्मा, जे.एन. (2023), सिंह के. के. (2022), सिंघल, सी.ए. (2021)अतः उपरोक्त शोध अध्ययनों में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित अनेक शोध कार्य किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में यही देखा जाएगा कि क्या सरकारी विद्यालयों का वातावरण सुधार कर किशोर छात्रों के व्यवहारिक दोषों में कमी आई है और क्या निजी विद्यालय जहाँ संचालक समिति पर्याप्त शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करती है।

प्रयुक्त शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श के लिए 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण –
प्रस्तुत शोधकार्य व्यवहारिक दोषों के मूल्यांकन से सम्बन्धित है स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के चर : –

- **स्वतंत्र चर** : सामाजिक, मनोविज्ञानिक
- **आश्रित चर** : राजकीय, निजी

राजकीय व निजी विद्याय के किशोर छात्र व छात्राओं के व्यवहारिक दोषों के सार्थक अंतर नहीं होता है।

विद्यालयों के प्रकार	**विद्यार्थियों की संख्या (N)**	**मध्यमान (M)**	**मानक विचलन (S.D)**	**टी–मान (t)**
राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी	60	21.98	2.21	0.48
निजी विद्यालय के विद्यार्थी	60	21.85	2.20	

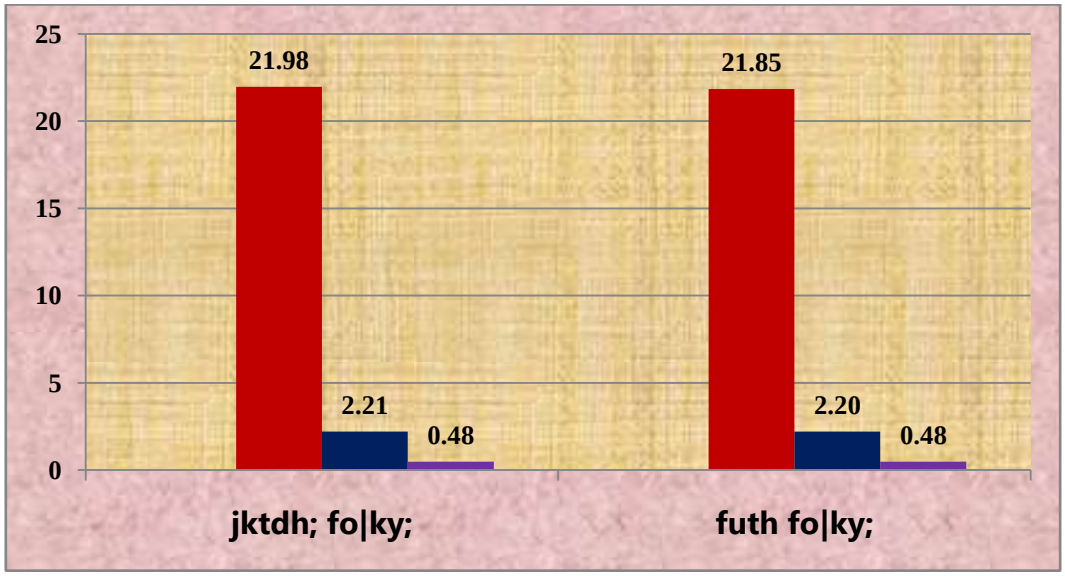

परिणाम

राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में व्यवहारिक दोषों का मध्यमान 21.98 व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यवहारिक दोषों का मध्यमान 21.85 है। राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों का मानक विचलन 2.21 व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का मानक विचलन 2.20 है। राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यवहारिक दोषों के मध्य सार्थकता अन्तर ज्ञात करने पर टी–परीक्षण 0.48 प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता का अंश कि= (छ$_1$. छ$_2$ दृ 2) = 60. 60 दृ 2 त्र 118 प्राप्त हुआ। इस आधार पर टी–मूल्य के सारणीगत मान 0.01 एवं 0.05 स्तर पर देखे गये जो क्रमशः 2.63 एवं 1.98 है, जो कि टी–मूल्य की गणना द्वारा प्राप्त मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

सीकर जिले के राजकीय विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

विद्यार्थियों के प्रकार	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	टी–मान (t)
छात्र	30	22.23	2.29	0.34
छात्राएँ	30	21.73	2.12	

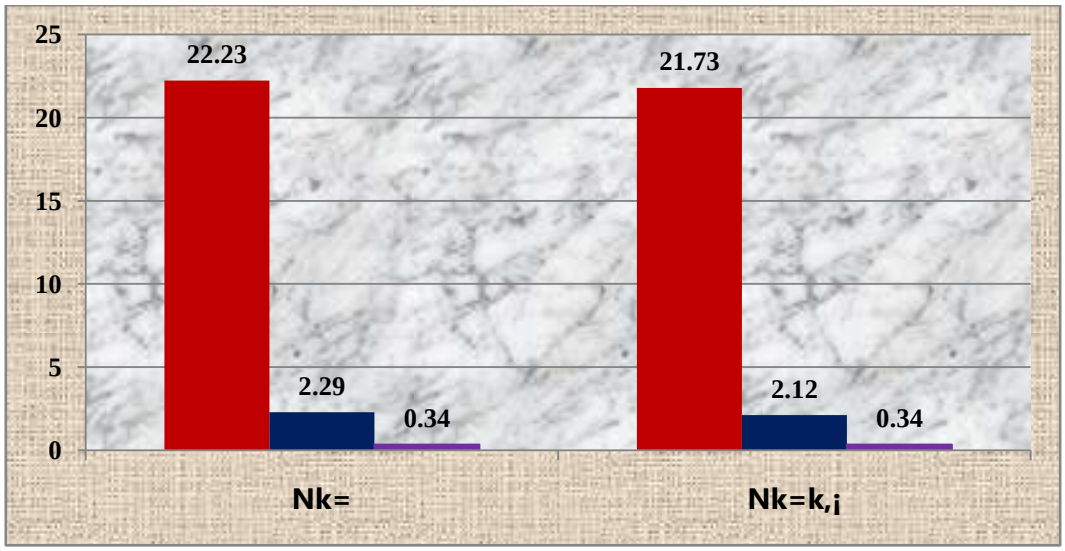

परिणाम

राजकीय विद्यालयों के छात्रों में मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों का मध्यमान 22.23 है तथा राजकीय विद्यालयों की छात्राओं में मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों का मध्यमान 21.70 है। राजकीय विद्यालय के छात्रों का मानक विचलन 2.29 है व छात्राओं का मानक विचलन 2.12 है।राजकीय विद्यालयों के छात्र व छात्राओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक दोषों के मध्य सार्थकता अन्तर ज्ञात करने पर टी–परीक्षण 0.34 प्राप्त होता है।स्वतंत्रता के अंश कि= (छ$_1$. छ$_2$ दृ 2) = 30̣ 30 दृ 2 त्र 58 प्राप्त हुआ। इस आधार पर टी–मूल्य के सारणीगत मान 0.01 एवं 0.05 स्तर पर देखे गये जो क्रमशः 2.66 एवं 2.00 है, जो टी–मूल्य की गणना द्वारा प्राप्त मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

किशोर छात्र–छात्राओं की एकाकी प्रकृति के निवारण में छात्र–छात्राओं की उचित बैठक व्यवस्था भी पर्याप्त सहायक हो सकती है। इस कार्य में एकाकी प्रकृति के किशोर छात्र को उसकी पसन्द के छात्र के साथ बिठाया जाये ताकि दोनों परस्पर विचार विनिमय कर सकें व कठिन विषयवस्तु को पारस्परिक वार्तालाप के मध्यम से अधिगम कर सकें।

छात्रों की बैठक व्यवस्था में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहारिक दोषयुक्त छात्र को उससे नफरत करने वाले छात्र के साथ कदापि न बिठाया जावे।शिक्षकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे छात्रों के कमजोर पक्षों की मजाक नहीं उड़ाये। इससे छात्रों में आक्रोश, हीनता, चिड़चिड़ापन व तनाव जैसे व्यवहारिक दोष उत्पन्न हो सकते है।

अतः सदैव छात्रों से मित्रवत व्यवहार रखें ताकि छात्र अपनी समस्या को आसानी से शिक्षक को अवगत करा सकें और शिक्षक समय पर ही समस्या का समाधान भी कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. बोहरा, भूषण लाल, 1996 "मानव अधिकार और पुलिस बल" शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
[2]. बक्शी, पी.एम. (2000) : "कॉन्सीट्यूशन ऑफ इण्डिया" इलाहाबाद. पृष्ठ संख्या, 150–160.
[3]. भटनागर,एम. बी. मीनाक्षी 2006 " भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास",आर.लाल बुक डिपो, मेरठ,।
चाइल्ड, फेयर 1967
[4]. बेस्ट, जे. डब्ल्यू 1959 "रिसर्च इन एजुकेशन, प्रिन्टिग हॉल ऑफ इण्डिया, इंग्लिवुड"।
"मेजरमेन्ट एण्ड एजुकेशन इन साइकोलॉजी"।
[5]. ढौढ़ियाल, डॉ. सच्चिदानन्द 2004 शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, अरविन्द लायल बुक डिपों, मेरठ,
[6]. गौतम, ओ. पी ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एन आर्टिकल इन टुवार्ड राइट्स फेमवर्क
[7]. जेम्स, चिरण्य काण्घन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कन्सेप्ट्स एण्ड कन्टेक्ट्स कन्टेम्पररी साउथ एशिया, खण्ड –2, संख्या 3